INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

UPSC – CSE

(संघ लोक सेवा आयोग)

(हिंदी माध्यम)

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 7

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**UPSC-CSE (IAS/IPS/IFS) (हिंदी माध्यम)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को **संघ लोक सेवा आयोग** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य)"** में पूर्ण संभव मदद करेंगें।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp कीजिए - https://wa.link/6bx90g

Online Order कीजिए - https://shorturl.at/SgSVX

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम**

अंतरराष्ट्रीय संबंध

क्र.सं.	अध्याय	पेज नंबर
1.	भारत की विदेश नीति	1
2.	भारत और उसके पड़ोसी देश	8
3.	भारत-ताइवान संबंध	24
4.	भारत - वियतनाम संबंध	25
5.	भारत-ओमान संबंध	28
6.	भारत-ईरान संबंध	29
7.	भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध	33
8.	भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध	37
9.	भारत-फ्रांस द्विपक्षीय संबंध	40
10.	भारत-जर्मनी द्विपक्षीय संबंध	44
11.	भारत-इटली द्विपक्षीय संबंध	48
12.	भारत-इज़राइल द्विपक्षीय संबंध	50
13.	भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध	55
14.	भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध	59
15.	रूस-यूक्रेन संघर्ष	65
16.	भारत-स्विट्जरलैंड संबंध	70
17.	भारत-यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय संबंध	71

18.	भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध	75
19.	भारत-यूएई संबंध	83
20.	भारत सऊदी अरब	85
21.	भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार वार्ता	87
22.	भारत-मॉरीशस संबंध	88
23.	स्वेज नहर अवरोध	90
24.	गिलगित-बाल्टिस्तान मुद्दा	92
25.	भारत-मंगोलिया संबंध	93
26.	शीत युद्ध	95
27.	डब्ल्यूटीओ - विश्व व्यापार संगठन	99
28.	विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)	100
29.	परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन	106
30.	समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ : बड़ी तस्वीर	108
31.	क्षेत्रीय और वैश्विक समूह	110
32.	समझौते (AGREEMENTS)	176

अध्याय – I

भारत की विदेश नीति

विदेश नीति के मूल सिद्धांत

विदेश नीति, वह सामान्य उद्देश्य होते हैं जो एक राज्य की गतिविधियों और अन्य राज्यों के साथ इसके संबंधों को मार्गदर्शन देते हैं। विदेश नीति का विकास घरेलू विचारों, अन्य राज्यों की नीतियों या व्यवहार, या विशिष्ट भू-राजनीतिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। लियोपोल्ड वॉन रांके ने विदेश नीति को आकार देने में भूगोल और बाहरी खतरों की प्रमुखता को रेखांकित किया, लेकिन बाद में लेखकों ने घरेलू कारकों पर जोर दिया। कूटनीति विदेश नीति का उपकरण है, और युद्ध, गठबंधन, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं।

भारत की विदेश नीति का परिचय

- विश्व स्तर पर स्थिति बहुत गंभीर थी। दुनिया ने अभी हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध का विनाशकारी प्रभाव देखा था, एक नई अंतरराष्ट्रीय शांति संस्था बनाने की कोशिश, उपनिवेशवाद के पतन से नए देशों का उदय और नए देशों के सामने दोहरी चुनौतियाँ - कल्याण और लोकतंत्र।
- भारत के संदर्भ में, विभाजन और ब्रिटिश भारत की विरासत ने कई कठिन चुनौतियाँ छोड़ी थीं। 1947 के बाद भारत के स्वतंत्र विदेश नीति के प्रयास राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
- नेहरू ने विदेश नीति का उपयोग भारत की स्वतंत्रता की रक्षा और उसे मजबूत करने, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, आत्म-विश्वास और जनमानस में गर्व को बढ़ावा देने के लिए किया, जबकि विश्व शांति और उपनिवेशवाद विरोधी कार्यों की सेवा की।
- भारत ने अपनी विदेश नीति इस उद्देश्य से बनाई कि सभी अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए और शांति बनाए रखकर सुरक्षा प्राप्त की जाए।
- यह उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित होता है: "अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।"

राज्य का प्रयास होना चाहिए:

- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना।
- संविधान और संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना।

पंचशील: नेहरू ने देशों के बीच रिश्तों को चलाने के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पांच सिद्धांत (पंचशील) निर्धारित किए। ये थे:

1. एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान,
2. आक्रामकता से बचना,
3. एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना,
4. समानता और पारस्परिक लाभ,
5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

नेहरू के तहत भारत की विदेश नीति

नेहरू की विदेश नीति के मुख्य बिंदु

- स्वतंत्र विदेश नीति
- गैर-अलाइनमेंट (गुट निरपेक्ष) आंदोलन (NAM)
- उपनिवेशी और पूर्व उपनिवेशी देशों का समर्थन
- पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
- भारत के आर्थिक हितों की सुरक्षा
- भारत की सुरक्षा

नेहरू की विदेश नीति का अवलोकन

अंतरराष्ट्रीय भूमिका

कोरियाई युद्ध (1950-53)

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कोरिया को एक साम्यवादी उत्तर कोरिया (जो सोवियत संघ द्वारा नियंत्रित था) और दक्षिण कोरिया (जो पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा नियंत्रित था) में विभाजित कर दिया गया था।
- जब उत्तर कोरिया ने 1950 में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का समर्थन किया और उत्तर कोरिया की निंदा की।
- लेकिन भारत की मुख्य चिंता बाहरी शक्तियों को संघर्ष में प्रवेश करने से रोकना थी।
- कोरियाई युद्ध ने भारत की गैर-अलाइनमेंट (गुट निरपेक्ष) (NAM) नीति और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को परखा।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कम्युनिस्ट चीन को सुरक्षा परिषद में स्थान देने के लिए लगातार दबाव डाला।
- भारत ने उत्तर कोरिया को शुरुआत करने वाला आक्रामक माना, जिससे उसे चीन और सोवियत संघ से विरोध का सामना करना पड़ा।
- भारत को पश्चिमी देशों से भी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने युद्ध में पश्चिमी हस्तक्षेप का विरोध किया और चीन को आक्रामक घोषित करने से मना कर दिया।

भारत-चीन संघर्ष

- भारत ने भारत-चीन संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय विवाद बनने से रोकने की कोशिश की।
- भारत ने चीन से लाओस और कंबोडिया को तटस्थ बनाए रखने का आश्वासन प्राप्त किया।
- भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस से भी चीन को यह आश्वासन दिलवाया कि वे लाओस और कंबोडिया में अमेरिका को सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति नहीं देंगे।

- भारत को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और इसका काम लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में विदेशी हथियारों के आयात की निगरानी करना था।

स्वेज नहर

- आंग्ल/एंग्लो-अमेरिकी देशों ने नील नदी पर अस्वान बांध के निर्माण के लिए तय / प्रस्तावित वित्तीय सहायता को वापस ले लिया।
- तब, मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया।
- स्वेज नहर के उपयोगकर्ताओं (खासकर ब्रिटेन और फ्रांस) ने इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण की मांग की।
- भारत भी एक उपयोगकर्ता था और उसने यह स्वीकार किया कि स्वेज नहर मिस्र का अभिन्न हिस्सा है।
- भारत ने मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन के हमले की निंदा की।
- अंतत; संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेनाएं वापस लीं, और भारतीय सैनिकों ने शांति-रक्षकों के रूप में बड़ी संख्या में भाग लिया।

हंगरी

- 1956 में, सोवियत संघ ने हंगरी में एक विद्रोह को दबाने के लिए हस्तक्षेप किया था, जिसका उद्देश्य हंगरी को सोवियत ब्लॉक से बाहर करना था। इसे संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की और सोवियत संघ से सैनिकों की वापसी की मांग की।
- भारत ने औपचारिक निंदा में शामिल होने से परहेज किया और पश्चिमी देशों से आलोचना प्राप्त की।
- नेहरू ने सोवियत संघ की कार्रवाई की आलोचना की और उन्होंने दो साल तक बुडापेस्ट में राजदूत नहीं भेजा, ताकि असंतोष जताया जा सके। सोवियत संघ ने इसके बदले कश्मीर मामले में सुरक्षा परिषद में मतदान से परहेज किया।
- बाद में, सोवियत संघ ने अपनी सामान्य नीति को अपनाया और भारत के हितों के खिलाफ प्रस्तावों को वीटो कर दिया।
- भारत ने दोनों पक्षों से काफी दबाव का सामना किया और किसी भी दिशा में नहीं झुका।

कांगो

- भारत की विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि कांगो की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखना था।
- कांगो ने 1960 में बेल्जियम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। कांगो के उसकी तांबे से समृद्ध प्रांत कातांगा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसे बेल्जियम ने समर्थन दिया।
- नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि वह एक निर्णायक भूमिका निभाए, विदेशी सैनिकों को हटाए, गृहयुद्ध को रोके, संसद को बुलाए और नया सरकार गठन करे, और भारत सैनिकों को भेजने के लिए तैयार था।
- 1961 में सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया और भारतीय सशस्त्र बलों ने सफलतापूर्वक गृहयुद्ध को समाप्त किया और सरकार की सत्ता बहाल की।
- यह भारत की गैर-अलाइनमेंट (गुट निरपेक्ष) नीति के लिए एक शानदार क्षण था। इसने संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका को मजबूत किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका

- भारत को अपनी विकास प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी, मशीनें, और सहायता की आवश्यकता थी, इसके लोगों के लिए भोजन और राष्ट्र निर्माण तथा लोकतांत्रिक प्रयासों के लिए अमेरिका से नैतिक समर्थन की आवश्यकता थी।
- कश्मीर पर अमेरिका का रुख भारत-अमेरिका दोस्ती की उम्मीदों को कमजोर करता था।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (जो अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रभुत्वशाली थी) पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आक्रमण के आरोपों पर निर्णय लेने से बची, भले ही संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की उपस्थिति की रिपोर्ट दी थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 में भारत द्वारा कम्युनिस्ट चीन को मान्यता देने की सराहना नहीं की।
- नेहरू ने पाकिस्तान को CENTO और SEATO में शामिल किए जाने से भारतीय उपमहाद्वीप में शीत युद्ध के प्रवेश पर असंतोष व्यक्त किया।
- हालाँकि, आर्थिक संबंध बढ़े क्योंकि अमेरिका प्रौद्योगिकी और मशीनों का स्रोत था।

सोवियत संघ

- भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति कम्युनिस्टों का अस्पष्ट रुख नेहरू की सरकार पर भी प्रभाव डालता था।
- सोवियत संघ ने भारत में सूखा पड़ने पर खाद्य आपूर्ति भेजी, जबकि उस समय अमेरिका भारत की मदद नहीं कर रहा था।
- 1955 से, सोवियत संघ ने कश्मीर पर भारत के रुख का पूर्ण समर्थन किया, और 1956 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर भारत के खिलाफ प्रस्तावों को वीटो करने का उपयोग किया।
- दोनों देशों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक समान रुख अपनाया।
- संयुक्त राष्ट्र में, सोवियत संघ ने गोवा के भारत में विलय पर भारत का समर्थन किया, जबकि अमेरिका इसके विरोध में था।
- योजना आधारित आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ने भारत को सोवियत संघ के करीब ला दिया।
- 1962 में, एक समझौते के तहत भारत को मिग (MiG) विमान बनाने की अनुमति मिली।
- 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान सोवियत संघ ने पूर्ण तटस्थता बनाए रखी।
- इसके अलावा, भारत अफ्रीकी-एशियाई देशों की नई स्वतंत्रता की ओर जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार था, जो अमेरिका का सहयोगी बनना नहीं चाहते थे और

सोवियत संघ को प्राथमिकता देते थे। इससे सोवियत संघ को शीत युद्ध में भी मदद मिली।

भारत की विदेश नीति का विकास

- स्वतंत्रता के बाद से, भारत की विदेश नीति सोवियत समर्थक और पश्चिमी हितों के खिलाफ से अब एक महत्वपूर्ण पश्चिमी रणनीतिक साझेदार के रूप में विकसित हुई है और चीन के खिलाफ एक संतुलन प्रदान करती है। पिछले छह और आधे दशकों में, भारत ने कूटनीति और व्यापार के माध्यम से अपनी वैश्विक प्रभाव को नाटकीय रूप से बढ़ाया है, जिससे यह वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। समय के साथ भारत की विदेश नीति में कई कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारत की विदेश नीति के निर्धारण करने वाले तत्व

- **ऐतिहासिक कारक**
- भारत के लोगों का लंबा और समृद्ध लेकिन जटिल ऐतिहासिक अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।
- ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत शोषण और कष्टों का अनुभव करने के बाद, भारतीय विदेश नीति पूरी तरह से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
- एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ एकजुटता का समर्थन भी भारत के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध से उत्पन्न हुआ है।
- ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध, विशेष रूप से साम्राज्यवादी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारतीय विदेश नीति में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं।
- ब्रिटिश संस्कृति और परंपरा का प्रभाव भारतीय कूटनीति के संचालन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
- राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करने वाले आदर्श और सिद्धांत, भारत के पूर्व-स्वतंत्रता विदेश संबंधों का इतिहास और विभाजन के कारण उत्पन्न हुए दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव, भारतीय विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं।

राजनीतिक कारक

- भारत की राजनीतिक परंपरा भारतीय विदेश नीति का एक प्रभावशाली कारक रही है।
- ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों का अनुभव भी इसका एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को 1919 के बाद एक अर्ध-स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व के रूप में स्वीकार करना, भारतीय विदेश नीति के उदय में सहायक था।
- इसके अतिरिक्त, गांधीजी, श्री अरबिंदो और रवींद्रनाथ ठाकुर (टैगोर) के विचारों में जो राजनीति और शक्ति के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिखता है, उसने भारतीय विदेश नीति को विश्व शांति अपनाने, शक्ति-राजनीति, शीत युद्ध और सैन्य गठबंधनों से दूर रहने के आदर्शों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अंतरराष्ट्रीयता, जो भारतीय विदेश नीति का एक उद्देश्य है, भारतीय राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है।

भौगोलिक कारक

- भू-राजनीति से तात्पर्य है, विदेशी नीति निर्धारित करने में भौगोलिक कारकों का महत्व।
- भारत एशिया के केंद्र में स्थित है और दक्षिण एशिया में इसका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है।
- ऐसी स्थिति में, एशिया में कोई भी बड़ा घटनाक्रम भारत पर प्रभाव डालता है।
- हिमालय भारत के लिए प्रहरी की भूमिका निभाता है, जो नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे हिमालयी देशों के साथ रिश्तों को प्रभावित करता है।
- हालांकि, 1962 से चीन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने की चाहत ने भारत की विदेश नीति पर स्पष्ट प्रभाव डाला है, जिससे नेपाल के साथ रिश्तों में हाल ही में बदलाव आया है।
- भारत का भारतीय महासागर पर प्रभुत्व भारत को भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बनाने के लिए आवश्यक है।
- भारतीय महासागर क्षेत्र अब दुनिया भर के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार और संचार मार्ग बन गया है।
- इसलिए, यह भी भारत की विदेश नीति निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जनसंख्या

- भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे युवा देश है, जिससे यह एक उपभोक्तावादी देश बनता जा रहा है, जो सभी उत्पादक देशों के लिए एक बड़ा बाजार प्रदान करेगा, जो विदेशी नीति का एक निर्धारण तत्व है। हालांकि, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण, भारत की विदेश नीति में भूख और गरीबी जैसे मुद्दे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
- कई बार, भारत और अमेरिका ने कृषि सब्सिडी में सरकारी हस्तक्षेप को लेकर वर्ल्ड ट्रेड यूनियन में टकराव किया है।

सरकारी व्यवस्था

- भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कई देशों को भारतीय विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है; उदाहरण के लिए, चीन से घिरे एशियाई देशों को भारत की लोकतंत्र प्रणाली की ओर देखना पड़ता है क्योंकि भारत का लोकतंत्र शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करता है।
- हालांकि, संसदीय प्रणाली में, राज्य सरकारों की विदेश नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब केंद्र में एक गठबंधन सरकार हो, जैसा कि श्रीलंका में तमिल मुद्दे और 2005 के अमेरिकी परमाणु समझौते में देखा गया।

आर्थिक विकास

- आर्थिक संप्रभुता विदेश नीति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। भारत को 1991 में अपने बाजारों को खोलना पड़ा था, लेकिन तब से भारत एक वित्तीय महाशक्ति बन गया है।
- कई देशों ने भारत की आर्थिक वृद्धि में रुचि दिखाई है। आज, भारत एक प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता है, और तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस जैसे देशों ने इसके साथ आर्थिक गठबंधन किए हैं।

क्षेत्रीय पर्यावरण

- क्षेत्रीय घटनाएँ भी विदेश नीति निर्धारण में भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, 1971 में, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का गठबंधन भारत के लिए एक संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे भारत को रूस की ओर रुख करना पड़ा।
- वर्तमान में, चीन का बढ़ता प्रभुत्व भारत-अमेरिका रिश्तों के बढ़ने का एक कारण है। "लुक ईस्ट व एक्ट ईस्ट" नीतियों और एशियाई देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ, भारत ने अपनी क्षमता और शक्ति बढ़ाई है।

वैश्विक पर्यावरण

- वैश्वीकरण के बाद, जब दुनिया पूरी तरह से आपस में जुड़ गई, तो वैश्विक कारक विदेशी नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण हो गए।
- भले ही भारत और अमेरिका पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग करें, भारत पेरिस समझौते से बाहर निकलने के कदम का विरोध कर सकता है। यह अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की चाहत का भी उदाहरण है, ताकि आतंकवाद का मुकाबला किया जा सके।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं, और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने की कोशिश कर रहा है।

सैन्य शक्ति

- आज, भारत सेना में तीसरे, वायु सेना में चौथे और नौसेना में छठे स्थान पर है। साथ ही, भारत के पास परमाणु शक्ति भी है।
- हर कोई भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रभुत्व से परिचित है। ऐसी स्थिति में, ये सभी भारत की विदेश नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्य

- **भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा:** किसी राष्ट्र का मुख्य हित उसकी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना है। लंबे संघर्ष के बाद, भारत ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसलिए, यह स्वाभाविक था कि भारत अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता पर जोर दे।
- **विदेश नीति की स्वतंत्रता:** इस संदर्भ में, भारत का अफ्रो-एशियाई एकजुटता को मजबूत करने का प्रयास, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का समर्थन और अंततः नॉन-अलाइन्मेंट नीति को अपनाना देखा जा सकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना:** एक "नव स्वतंत्र और विकासशील देश" के रूप में, भारत ने सही रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास के बीच संबंध को पहचाना। उसका निरस्त्रीकरण पर जोर, साथ ही सैन्य गठबंधनों से बचने की नीति, वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए है।
- **भारत का आर्थिक विकास:** स्वतंत्रता के समय, भारत की प्राथमिक आवश्यकता देश का तेजी से विकास करना था। देश की लोकतंत्र और स्वतंत्रता को मजबूत करना भी आवश्यक था। भारत ने शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों से वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए सत्ता गुटों की राजनीति से बाहर निकलने का निर्णय लिया और अपनी ऊर्जा विकास पर केंद्रित की।

मूलभूत सिद्धांत

भारत की विदेश नीति के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, देश ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाया और उनका पालन किया है। इनमें से कुछ सिद्धांत भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में बताए गए हैं।

पंचशील

- भारतीय नीति निर्धारकों ने शांति, विकास और मानवता की जीवन रक्षा के बीच संबंध को पहचाना। दो विश्व युद्धों द्वारा किए गए विध्वंस के बाद, उन्होंने महसूस किया कि किसी देश की प्रगति के लिए स्थायी विश्व शांति आवश्यक थी। बिना वैश्विक शांति के, सामाजिक और आर्थिक विकास को संकट का सामना करना पड़ सकता था।
- इसलिए, भारतीय विदेश नीति के जनक नेहरू ने अपनी नीति योजना में विश्व शांति को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार, भारत सभी देशों, विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मित्रवत संबंध चाहता था।
- पंचशील 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित हुआ और तब से यह भारत के अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।

पंचशील में निम्नलिखित पांच विदेश नीति सिद्धांत शामिल हैं:

- आपसी सम्मान के साथ एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान।
- एक-दूसरे के प्रति आक्रमण न करना।
- एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- समानता और आपसी लाभ।

अध्याय – 2

भारत और उसके पड़ोसी

- **भारत-नेपाल संबंध:**

भारत-नेपाल संबंध – नवीनतम अपडेट्स

1. हाल ही में, नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की छठी बैठक के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2020 के अंत में प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, जिसे विशेषज्ञों ने 'असंविधानिक' करार दिया, और देश के सुप्रीम कोर्ट इस कदम के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।
2. एक अद्वितीय विशेषता के रूप में, नेपाल की आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियाँ लगातार इसके विदेशी नीति विकल्पों को आकार देती हैं। ऐसे में, किसी भी आगंतुक या प्रस्थान करने वाली प्रतिनिधिमंडल को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है।
3. नेपाल सरकार ने 1816 के सुगौली संधि का हवाला देते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें भारतीय क्षेत्र जैसे कि लिपुलेख, कालापानी और अन्य क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है।
4. भारत के सेना प्रमुख का यह कहना था कि नेपाल ने यह विवाद "एक बाहरी शक्ति" यानी चीन के दबाव में उठाया। कालापानी क्षेत्रीय मुद्दे पर हुई ये घटनाएँ उनके विशेष संबंधों की नींव को खतरे में डालती दिख रही हैं, जिसने खुले सीमाओं और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही को बढ़ावा दिया है।

भारत-नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लोगों की स्वतंत्र आवाजाही की एक लंबी परंपरा रही है। नेपाल का क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किमी है और इसकी जनसंख्या लगभग 29 मिलियन है। नेपाल की दक्षिण में पांच भारतीय राज्यों – सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से 1850 किमी से अधिक की सीमा है, और उत्तर में यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि, 1950, भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों की नींव है। दोनों देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के सदस्य भी हैं।

भारत-नेपाल मित्रता संधि

संधि के प्रावधानों के तहत, नेपाली नागरिकों को भारत में भारतीय नागरिकों के बराबर सुविधाएं और अवसर प्राप्त हैं। इस संधि ने नेपाल को एक लैंडलॉक देश होने के नुकसान को दूर करने में मदद की है। समय के साथ, नेपाल में विभिन्न सरकारों ने संधि के संशोधन का मुद्दा उठाया है। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि वह सभी द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने के लिए तैयार है ताकि हमारे संबंधों को और मजबूत किया जा सके। हालांकि, नेपाल की ओर से कोई विशेष सुझाव सामने नहीं आए हैं। नवंबर 2005 में दिल्ली में सात पार्टी गठबंधन (SPA) और माओवादियों के बीच 12-बिंदु समझौता हुआ था।

भारत सरकार ने 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शांति समझौते द्वारा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की दिशा में किए गए रोडमैप का स्वागत किया, जिसमें शांति वार्ता और समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की गई। भारत ने नेपाल के लोगों और सरकार की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझते हुए शांति प्रक्रिया की सफलता और बहुदलीय लोकतंत्र की संस्थागत प्रक्रिया में तेजी से प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा, भारत ने नेपाल सरकार (GoN) के विकास प्रयासों में सहायता के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं, जो बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, ग्रामीण और सामुदायिक विकास, शिक्षा आदि क्षेत्रों में हैं।

भारत-नेपाल व्यापार संबंध

- 2009-10 के दौरान 'नेपाल को सहायता' बजट के तहत नेपाल को 161 करोड़ रुपये की ग्रांट सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, भारत सरकार ने नेपाल में चल रही शांति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता भी दी है। भारत की कुल सहायता नेपाल को लगभग 3600 करोड़ रुपये है, जिसमें छोटे विकास परियोजना योजना भी शामिल है, जो भारतीय दूतावास द्वारा स्थानीय जनसंख्या से संबंधित क्षेत्रों में विकास सहायता प्रदान करती है। अब तक इस योजना के तहत 370 से अधिक परियोजनाएं कवर की जा चुकी हैं, जिनका कुल बजट लगभग 402 करोड़ रुपये है। नेपाल में मानव संसाधन और क्षमता निर्माण में सहायता के रूप में, भारत हर साल नेपाली छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए 1500 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है।
- भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बना हुआ है, और यही विदेशी निवेश और पर्यटक आगमन का भी मुख्य स्रोत है। 1996 में व्यापार संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और 2009 में संशोधित व्यापार संधि पर हस्ताक्षर के बाद नेपाल को भारतीय बाजार तक और अधिक पहुंच मिली है। नेपाल के वित्तीय वर्ष 2066 (जुलाई 2010) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार 161291.7 करोड़ रुपये था, जो नेपाल के कुल बाहरी व्यापार का 58.7% था।

भारत-नेपाल सैन्य संबंध

- भारत ने नेपाल सेना (NA) को उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करके उसे आधुनिक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हर साल 180 से अधिक प्रशिक्षण स्लॉट नेपाल सेना के कर्मचारियों को भारतीय सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख को नेपाल सेना में जनरल के मानद रैंक से नवाजा

जाता है, और नेपाल सेना के प्रमुख को भी भारतीय सेना में समान सम्मान दिया जाता है। भारत हमेशा गर्वित रहा है कि नेपाली हमारे सैन्य बलों में सैनिक के रूप में हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी देखभाल और सम्मान किया जाए। वर्तमान में, नेपाल में 1.23 लाख से अधिक भारतीय पूर्व सैनिक रह रहे हैं। 2010-11 में नेपाल में भारतीय पूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान 1100 करोड़ रुपये तक था।

भारत-नेपाल संबंधों में नवीनतम विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा (2014)

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में अपने दौरे के दौरान खुद को नेपाल का सबसे अच्छा मित्र साबित करने की पूरी कोशिश की — एक आम व्यक्ति, एक तीर्थयात्री, एक नेपाली की मदद करने वाला, और बड़े देश के प्रधानमंत्री से कहीं अधिक। जब तक वह नेपाल से लौटे, उन्होंने नेपालियों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह बना ली थी, यह विचार गहरे रूप से छाप छोड़ते हुए कि केवल वह ही नेपाल को समृद्ध बनाने के लिए इच्छाशक्ति और क्षमता रखते हैं। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि भारत नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करता है और यह संदेश दिया कि अतीत की खोई हुई अवसरों और असफल वादों को भविष्य की समृद्धि की यात्रा में रुकावट नहीं बनना चाहिए। यह शायद भविष्य की ओर देखने का संदेश था, न कि अतीत की बातें दोहराने का।
- प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और काठमांडू में जनता के बीच उनके स्वागत को नेपाल में "जादुई" करार दिया गया, और उन्होंने काठमांडू में समेटी गई पुरानी शत्रुता को दूर किया। मोदी ने नेपाल के अभूतपूर्व संप्रभुता पर जोर दिया और यह स्पष्ट किया कि दिल्ली नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो नेपाल के अभिजात वर्ग की मुख्य चिंताओं में से एक है — भारत का गहरा डर। यह डर छोटे देशों में आम होता है, जो एक बड़े देश के पास स्थित होते हैं, और दिल्ली को दशकों से काठमांडू में इस संदेह को दूर करना कठिन लगा था। मोदी ने इस समस्या को सीधे तौर पर संबोधित किया और 1950 के भारत-नेपाल मैत्री संधि में संशोधन की पेशकश की — जो काठमांडू में असमान संबंधों का प्रतीक मानी जाती थी। मोदी ने संप्रभु समानता पर नए राजनीतिक जोर के साथ एक साझा आर्थिक समृद्धि के लिए एक प्रेरक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें सीमा पार कनेक्टिविटी, कृषि, पर्यटन और जलविद्युत विकास पर जोर दिया गया।

कालापानी मुद्दा और भारत-नेपाल संबंधों में तनाव

- कालापानी का विवाद 2020 जून से भारत-नेपाल संबंधों में और बिगड़ गया है। कालापानी वह क्षेत्र है जो भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित है, जो भारत-चीन सीमा के पास लिपुलेख दर्रे के पास है। यह सीमा व्यापार और तिब्बत के कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए स्वीकृत बिंदु है। यह विवाद स्वतंत्रता के बाद से भारत-नेपाल संबंधों में एक कांटा बना हुआ है।
- 13 जून 2020 को नेपाल की संसद ने संविधान में संशोधन करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया, और देश का नया राजनीतिक मानचित्र खींचा, जिसमें भारत के साथ सीमा पर स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दावा किया। नेपाल के गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि नए सीमा रेखा के साथ 100 और सीमा चौकियां बनाई जाएंगी, क्योंकि विवाद अभी भी जारी है। वर्तमान में, भारतीय सरकार ने नेपाल को इस लंबित सीमा विवाद को कूटनीतिक माध्यमों से हल करने के लिए बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।

भारत-नेपाल संबंधों में आगे की राह

- **भारत को नेपाल को केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए**, और द्विपक्षीय संबंधों को केवल एक लेन-देन के रूप में या चीन के साथ एक शून्य-राशि खेल के रूप में नहीं समझना चाहिए।
- **भारत को बहुआयामी संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए**, जो दोनों देशों के लाभ के लिए हों।
- **भारत को कूटनीतिक रूप से नेपाल के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए**, और इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सीमा-पार जल विवादों के समाधान की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान को एक मॉडल के रूप में लिया जा सकता है।
- **भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों से दूर रहने की नीति बनाए रखनी चाहिए**, साथ ही मित्रता की भावना में नेपाल को एक समावेशी लोकतंत्र की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए।

भारत-श्रीलंका संबंधों में नवीनतम चिंताएँ:

1. **अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (APSEZ)** को श्रीलंकाई अधिकारियों से कोलंबो के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (WCT) के विकास और संचालन के लिए एक "लेटर ऑफ इंटेंट" (LOI) प्राप्त हुआ है। WCT को एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी के रूप में 35 वर्षों के लिए निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (BOT) आधार पर विकसित किया जाएगा।
   a. यह परियोजना WCT की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाएगी और श्रीलंका के रणनीतिक लाभ को और मजबूत करेगी, क्योंकि यह दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रांसशिपमेंट मार्गों में से एक पर स्थित है।
   b. यह परियोजना भारत के तट पर स्थित अदानी द्वारा संचालित 7 कंटेनर टर्मिनलों से लाभ उठाएगी, जो वार्षिक रूप से 6 मिलियन से अधिक TEUs (ट्वेंटी-फूट इक्विवालेंट यूनिट्स) हैंडल करते हैं।

c. यह परियोजना दक्षिण एशियाई जल क्षेत्र में विभिन्न शिपिंग लाइनों और अन्य संभावित पोर्ट ग्राहकों को सेवा देने के लिए ट्रांसशिपमेंट विकल्पों को बढ़ाएगी, जिससे भारत और श्रीलंका दोनों को कई तरीकों से लाभ होगा।

2. **श्रीलंकाई सरकार ने भारत के उच्चायुक्त की चिंताओं के बाद जाफना विश्वविद्यालय में ध्वस्त किए गए एक स्मारक का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया।**

a. 2009 में LTTE और श्रीलंकाई सेना के बीच हुए गृह युद्ध में मारे गए तमिल नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले एक स्मारक का ध्वस्त किया जाना, श्रीलंकाई तमिलों के अल्पसंख्यक अधिकारों के अदृश्य मुद्दों को फिर से भारत-श्रीलंका संबंधों में ला खड़ा करता है।

भारत-श्रीलंका संबंधों की पृष्ठभूमि

भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन संबंध हैं, जो सम्राट अशोक के शासनकाल से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के संबंधों का निर्माण निम्नलिखित परंपराओं पर आधारित है:

- बौद्धिक संपर्क
- सांस्कृतिक संपर्क
- धार्मिक संपर्क
- भाषाई संपर्क

समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों में परिपक्वता और विविधता आई है, जो अब समकालीन महत्व के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर, और उनके नागरिकों के बीच व्यापक जनसंपर्क इस साझेदारी को बनाने का आधार प्रदान करते हैं।

हाल के वर्षों में, इस रिश्ते की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित रही हैं:

- उच्चतम राजनीतिक स्तर पर करीबी संपर्क
- व्यापार और निवेश में बढ़ोत्तरी
- **निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग:**
  - विकास
  - शिक्षा
  - संस्कृति
  - सुरक्षा
  - अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुख्य मुद्दों पर व्यापक समझ।

भारत-श्रीलंका संबंधों में संघर्ष

पिछले समय में अच्छे संबंधों के बावजूद, समकालीन संबंधों में कई घटनाओं ने दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। मुख्य कारण जो इन तनावपूर्ण संबंधों का कारण बने हैं, वे हैं:

- मछुआरे का मुद्दा
- श्रीलंका के गृहयुद्ध में भारत का हस्तक्षेप
- भारत-श्रीलंका समझौता

भारत-श्रीलंका मुद्दा – मछुआरों का मुद्दा

पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार करना एक पुराना विवाद है, जिसमें श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछली पकड़ने वाली नावों पर गोलीबारी की है। श्रीलंकाई क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम बेहतर होता है, दोनों गुणवत्ता (उच्च मूल्य वाली झींगे) और मात्रा के मामले में। यह मुद्दा भारतीय मछुआरों द्वारा यांत्रिक ट्रॉलर का उपयोग करने के कारण शुरू हुआ, जिससे श्रीलंकाई मछुआरों (जिसमें तमिल भी शामिल हैं) का शिकार प्रभावित हुआ और उनकी नावें भी नुकसान की शिकार हुईं। श्रीलंकाई सरकार चाहती है कि भारत पाक जलसंधि क्षेत्र में यांत्रिक ट्रॉलरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए, और इस विषय पर बातचीत चल रही है। अब तक, कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है क्योंकि भारत इन ट्रॉलरों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बजाय इन्हें नियंत्रित करने का पक्षधर है।

भारत-श्रीलंका मुद्दा – श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारतीय हस्तक्षेप

- 1970 और 1980 के दशक में, श्रीलंका में तमिल इलम के टाइगर्स नामक एक अलगाववादी विद्रोही समूह और श्रीलंकाई सरकार के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया था। यह माना जाता था कि भारत की एक केंद्रीय जांच एजेंसी (RAW) और कुछ निजी नेता इन विद्रोहियों को वित्तीय मदद दे रहे थे। 1987 में भारत में तमिलों के खिलाफ बढ़ती असंतोष ने स्थिति को और खराब कर दिया। श्रीलंका से आए शरणार्थियों की बढ़ती संख्या ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया। इस वजह से भारत ने श्रीलंकाई गृहयुद्ध में सीधा हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। भारत ने तमिल क्षेत्रों में आर्थिक नाकाबंदी और सैन्य हमले किए थे, हालांकि श्रीलंकाई सरकार द्वारा भी आर्थिक नाकाबंदी और सैन्य हमले किए गए थे। कई दौर की बातचीत के बाद, भारत और श्रीलंका ने एक समझौता किया, जिसमें तमिल क्षेत्रों को कुछ हद तक क्षेत्रीय स्वायत्तता देने की बात कही गई थी और तमिल विद्रोहियों से उनके हथियार डालने की अपील की गई थी। इसके बाद, भारत ने एक शांति सेना, IPKF (Indian Peace Keeping Force) भेजने का निर्णय लिया, जो तमिल विद्रोहियों के हथियार डालने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएगा।
- भारत के विदेशी नीति के जानकार विशेषज्ञों के अनुसार, श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारतीय हस्तक्षेप अनिवार्य था, क्योंकि यह युद्ध भारत की "एकता, राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय अखंडता" के लिए खतरे का कारण बन रहा था। यह खतरा दो तरीके से था: एक ओर, बाहरी शक्तियां इस स्थिति का फायदा उठाकर श्रीलंका में अपना ठिकाना स्थापित कर सकती थीं, जिससे भारत को खतरा था; दूसरी ओर, LTTE का सपना था कि वह एक स्वतंत्र तमिल इलम बनाए जिसमें

अध्याय – II

भारत-इटली द्विपक्षीय संबंध

मूल और पृष्ठभूमि

- भारत और इटली प्राचीन सभ्यताएँ हैं, लेकिन दोनों देश युवा राष्ट्र हैं (इटली का एकीकरण केवल 1861 में हुआ था)।
- संस्कृत और लैटिन दोनों प्राचीन भाषाएँ हैं और दोनों इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार से हैं।
- इन दोनों प्राचीन सभ्यताओं के लोग एक-दूसरे से 2000 साल से ज्यादा समय से जानते, बातचीत करते और व्यापार करते रहे हैं। इटली के बंदरगाह शहर मसाले मार्ग पर महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र थे।
- वेनिस के व्यापारी **मार्को पोलो** अपनी यात्रा के दौरान 13वीं सदी में भारत आए थे और उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा था।
- भारतीय सैनिक, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में सक्रिय थे। इनमें राजपूताना राइफल्स और गुरखा राइफल्स शामिल थे।
- **10वीं भारतीय डिवीजन** ने सोमालिलैंड और अबीसीनिया में इटालियनों के खिलाफ **पूर्व अफ्रीकी सहयोगी अभियान** में हिस्सा लिया।

राजनीतिक

- भारत और इटली के बीच राजनीतिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे।
- दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं।
- दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सरकारी स्तर पर नियमित रूप से यात्राओं का आदान-प्रदान होता रहता है।

आर्थिक संबंध

- **ईयू (यूरोपीय संघ)** के सदस्य देशों में, इटली भारत का **5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार** है (जर्मनी, बेल्जियम, यूके और फ्रांस के बाद)।
- भारत का इटली को निर्यात मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, वस्त्र और स्टील से होता है। इटली का भारत को निर्यात भारत के कुल आयात का 1% है।
- इटली भारत का **27वां सबसे बड़ा वैश्विक आपूर्तिकर्ता** है, जबकि यह भारतीय निर्यात का **10वां सबसे बड़ा बाजार** है।
- **इटली का भारत में निवेश** अप्रैल 2000 से जून 2018 तक लगभग **$3 बिलियन** है। इस निवेश का अधिकांश हिस्सा **ऑटोमोटिव उद्योग, व्यापार, सेवाएँ, औद्योगिक मशीनरी** और **खाद्य प्रसंस्करण** क्षेत्रों में है।
- भारत का इटली को प्रमुख निर्यात में **तैयार वस्त्र, चमड़ा, लोहा अयस्क, मोटर वाहन, वस्त्र, रसायन** और **रत्न व आभूषण** शामिल हैं।
- इटली से भारत का प्रमुख आयात में **सामान्य और विशेष उद्देश्य की मशीनरी, मशीन उपकरण, धातुकर्म उत्पाद** और **इंजीनियरिंग वस्तुएं** शामिल हैं। भारत में लगभग **140 बड़े इटालियन कंपनियाँ** सक्रिय हैं।

व्यापार संबंध

- भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA) में कई उतार-चढ़ाव आए हैं।
- कई दौर की वार्ताएँ हुई हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकल पाया है। अब इटली के समर्थन से, इस FTA के लिए सफलता पाना थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि यह एक बड़े EU देश का समर्थन है।
- भारत और इटली के बीच व्यापार अधिक उत्साहजनक नहीं है। वार्षिक कारोबार लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से भारत को लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ होता है। हालांकि यह भारत के पक्ष में है, लेकिन भारत और इटली के बीच व्यापार को बढ़ाने की बड़ी संभावना है।

इटली में भारतीय प्रवासी

- इटली यूरोपीय संघ (EU) में तीसरी सबसे बड़ी भारतीय समुदाय का घर है, जिसमें अनुमानित 1,80,000 लोग हैं, जो यूके और नीदरलैंड्स के बाद हैं।
- पहले पीढ़ी के प्रवासी होने के नाते, इनमें से अधिकांश लोग कृषि, डेयरी पालन, चमड़ा उद्योग, निर्माण कार्य और सेवा उद्योग जैसे आर्थिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं।
- भारतीय प्रवासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तरी इटली के क्षेत्रों जैसे लोंबार्डी, पेडमोंट, वेनेटो और एम्मिलिया रोमाग्ना में, मध्य इटली में फ्लोरेंस, रोम और दक्षिणी इटली के क्षेत्रों जैसे कैंपानिया, पुगलिया और कैलाब्रिया में केंद्रित है।

सांस्कृतिक संबंध

- सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता 1976 में हस्ताक्षरित हुआ था।
- इसमें इटली और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) शामिल है, जो भाषा कार्यक्रमों के साथ-साथ अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रमों में छात्रों का आदान-प्रदान करता है।
- इटली में लगभग 10 विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें भारतीय कला, इतिहास और भाषाओं में पाठ्यक्रम संचालित होते हैं और इनके पास उच्च योग्य फैकल्टी होती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता 1978 से अस्तित्व में है।
- इस समझौते के तहत तीन साल में एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, जिनमें अधिकतम 30 संयुक्त शोध परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है।

- कुछ प्रमुख संयुक्त शोध क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, डिजाइन इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियाँ, ऊर्जा आदि हैं।

रक्षा

- संयुक्त रक्षा समिति 2018 में स्थापित की गई थी ताकि भारतीय और इटालियन रक्षा कंपनियों के बीच "संरचित संवाद" को बढ़ावा दिया जा सके।
- इटली ने भारत के साथ परमाणु, मिसाइल और द्विस्तरीय उपयोग प्रौद्योगिकी तथा पदार्थों के निर्यात नियंत्रण के कार्यक्रमों, जैसे वासेनार एरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया समूह और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) का समर्थन किया है, जो वैश्विक प्रसार निरोधी प्रयासों को मजबूत करते हैं।

आतंकवाद विरोधी समर्थन

- इटली ने भारत को आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर समर्थन दिया है। भारत ने बहुत समय से वैश्विक स्तर पर दुनिया से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अधिक सक्रिय और सख्त होने की अपील की है, खासकर पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों के खिलाफ।
- इटली का समर्थन भारत के लिए वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत हाथ बनाता है, विशेष रूप से पाकिस्तान के संदर्भ में। आजकल आतंकवाद एक वैश्विक मुद्दा बन गया है और यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों की स्वीकृति देशों से आतंकवादी समूहों को शरण न देने का आग्रह करती है।
- भारत आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा है, जबकि इटली को सीरिया, यमन, लीबिया और अन्य देशों से शरणार्थियों की आमद का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सुरक्षा चिंता बढ़ रही है। यह इटली के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र पर खुलकर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।
- इटली मानता है कि सीमा पार आतंकवाद के इस मुद्दे को भारत लंबे समय से उठा रहा है और अब यह एक वास्तविकता बनकर सामने आ रहा है।
- यूरोप में हो रहे भयंकर आतंकवादी घटनाओं से लगता है कि शायद अब यूरोप भारत जैसे देशों के लिए आतंकवाद विरोधी मामलों में थोड़ी अधिक संवेदनशील हो गया है।

भारत और इटली की साझेदारी का महत्व

- **मजबूत निर्माण आधार** – इटली दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जर्मनी और फ्रांस के बाद यूरोज़ोन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 1.86 ट्रिलियन डॉलर है। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्माण देश भी है, जहां छोटे और मझले उद्यम कई औद्योगिक जिलों में समूहबद्ध हैं।
- **ब्रेक्जिट** – भारतीय निवेशों का आधा हिस्सा यूरोपीय संघ (EU) में ब्रिटेन में है। इस कारण भारतीय निवेशक अब EU बाजार तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक प्रवेश बिंदु की तलाश कर रहे हैं। इटली इस संदर्भ में एक आदर्श अवसर प्रस्तुत करता है।
- **भारत और यूरोप के बीच भू-राजनीतिक संबंध** – भारत ने यूरोप के प्रति अपनी नीति को खोलने की कोशिश की है, वहीं यूरोप ब्रेक्जिट और पूरे क्षेत्र में दाएं पक्ष के दलों के उभार के बाद अब अधिक आंतरिक रूप से देखने लगा है। इसलिए भारत EU के साथ एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है।
- **G20** – इटली और भारत G20 के आगामी अध्यक्ष होंगे (इटली 2021 में और भारत 2022 में), जो दुनिया के प्रमुख वैश्विक शासन मंचों में से एक है।
- **जलवायु परिवर्तन से लड़ाई** – इटली 2021 में यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर 26वें COP (कॉनफ्रेंस ऑफ द पार्टीज) सत्र का सह-मेजबान होगा, और भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख जिम्मेदार भागीदार है।S
- **अफ्रीका** – भारत और इटली दोनों ही महाद्वीप में अपनी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं, जिसमें इटली के लिए प्रवासन प्रवाह को प्रबंधित करना और भारत के लिए विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है।

चुनौतियाँ

- **निम्न व्यापार** – भारत और इटली रोम काल से व्यापार भागीदार रहे हैं, लेकिन यह अफसोसजनक है कि भारत का व्यापार और निवेश बहुत कम है।
- **एनरिका लेक्सी मामला** - 2012 में इतालवी मरीन द्वारा दो भारतीय मछुआरों के मारे जाने की घटना एक बहुत बड़ी गलती थी, यह दुखद तथ्य जल्दी ही राजनीतिक रंग ले गया।
- **इटली की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता** - इटली बहुत ही नाजुक स्थिति में है - एक तरफ राष्ट्रवादी, प्रकृतिवादी निकट-फासीवादी और दूसरी तरफ एक लोकलुभावन आंदोलन है।
- **इटली यूरोप की 'एकिलीज़ हील' है** - 1.5% की सबसे कम विकास दर में से एक है, जिसमें 30% पर उच्च युवा बेरोजगारी है और सकल घरेलू उत्पाद के 133% पर चिंताजनक रूप से बढ़ता हुआ ऋण है।

आगे का रास्ता

- दोनों देशों को उन प्राथमिकताओं के चारों ओर अंतरराष्ट्रीय संवाद को आकार देना चाहिए, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं:

1. हमारी आर्थिक पूरकता का लाभ उठाने से लेकर साझी मूल्यों पर आधारित साझेदारी को मजबूत करना।
2. हमारी उन्नत निर्माण उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना।
3. वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना।
4. नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के विकास से लेकर निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना।

- ज्ञान-आधारित और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास पर अधिक ध्यान और निवेश किया जाना चाहिए।
- आसियान को व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के संबंध में।
- आसियान को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और आसियान समुदाय विजन को साकार करने के लिए रचनात्मक और ईमानदारी से मिलकर काम करके क्षेत्रीयता और बहुपक्षवाद का समर्थन और स्वागत करना चाहिए।

ब्रिक्स (BRICS)

बेसिक और पृष्ठभूमि

- BRICS एक संक्षेप रूप है जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- BRICS सदस्य देशों का क्षेत्रीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।
- 2009 से, BRICS देशों ने वार्षिक रूप से औपचारिक शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया है।
- शुरुआत में पहले चार देशों को "BRIC" के रूप में समूहित किया गया था, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसमें शामिल किया गया।
- ब्राजील ने 13-14 नवम्बर 2019 को ।।वीं BRICS शिखर बैठक की मेज़बानी की थी।

सदस्य देश

- स्थापना सदस्य थे: ब्राजील, रूस, भारत और चीन।
- बाद में, दक्षिण अफ्रीका को 2010 में समूह में शामिल किया गया।

BRICS का विकास

- BRICS का संक्षेप 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा तैयार किया गया था, जब उन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की आर्थिक संभावनाओं पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें इन देशों ने विश्व की उत्पादन और जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रस्तुत किया।
- 2006 में, चार देशों ने नियमित अनौपचारिक कूटनीतिक समन्वय की शुरुआत की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सामान्य बहस के दौरान विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकें हुईं।
- इस सफल बातचीत के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि संवाद अब प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन के स्तर पर होगा, जो देशों के प्रमुखों द्वारा किया जाएगा।
- पहला BRIC शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था, जिसमें वैश्विक वित्तीय संरचना के सुधार पर चर्चा की गई थी।
- दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर 2010 में BRIC में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, जिसके बाद समूह ने BRICS का नाम अपनाया।
- दक्षिण अफ्रीका ने मार्च 2011 में चीन के सान्या में तीसरे BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

मुख्य विशेषताएँ

- इन देशों की कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 21 अरब है, जो दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का 27% और जनसंख्या का 41% है।
- इन पांच देशों का संयुक्त नाममात्र GDP 18.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो दुनिया की कुल उत्पादन का लगभग 2% है, संयुक्त GDP (PPP) लगभग 40.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था (विश्व के GDP PPP का 32%), और अनुमानित विदेशी भंडार 4.46 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति समूह है।

लक्ष्य और उद्देश्य

- BRICS का उद्देश्य समूह के भीतर और प्रत्येक सदस्य देश के बीच सहयोग को गहरा करना, विस्तृत करना और सशक्त करना है ताकि एक स्थिर, समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास हो सके।
- BRICS प्रत्येक सदस्य के विकास, विकास और गरीबी के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि रिश्ते प्रत्येक देश की आर्थिक ताकतों पर आधारित हों और जहां तक संभव हो प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके।
- BRICS एक नया और आशाजनक राजनीतिक-राजनयिक निकाय बनकर उभरा है, जिसके उद्देश्य बहुत दूर तक विस्तारित हैं, जो पहले केवल वैश्विक वित्तीय संस्थानों के सुधार का था।

सहयोग के क्षेत्र

- आर्थिक सहयोग
- लोगों के बीच आदान-प्रदान
- राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग
- सहयोग तंत्र

आर्थिक सहयोग

- BRICS देशों के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग गतिविधियाँ हो रही हैं।
- आर्थिक और व्यापार सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, BRICS व्यापार परिषद के बीच रणनीतिक सहयोग, आपातकालीन रिजर्व समझौता और न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रों में समझौते किए गए हैं।
- ये समझौते आर्थिक सहयोग को गहरा करने और एकीकृत व्यापार और निवेश बाजारों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की दिशा में योगदान करते हैं।

लोगों के बीच आदान-प्रदान

- BRICS देशों ने सांस्कृतिक, खेल, शिक्षा, फिल्म और युवाओं के क्षेत्र में लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस किया है।
- लोगों के बीच आदान-प्रदान का उद्देश्य नई दोस्तियाँ बनाना, संबंधों को गहरा करना और BRICS देशों के लोगों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है, जिसमें खुलापन, समावेशिता, विविधता और पारस्परिक सीखने की भावना हो।
- इसमें युवा राजनयिक मंच, सांसदों का मंच, ट्रेड यूनियन मंच, सिविल BRICS और मीडिया मंच शामिल हैं।

राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग

- BRICS के सदस्य देशों का राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को प्राप्त करने के लिए है ताकि एक अधिक समान और निष्पक्ष दुनिया का निर्माण किया जा सके।
- BRICS सदस्य देशों के लिए नीतिगत सलाह साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करता है, जो घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए है, और वैश्विक राजनीतिक संरचना के पुनर्गठन को बढ़ावा देता है ताकि यह अधिक संतुलित हो और बहुपक्षीयता पर आधारित हो।
- BRICS को दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण-दक्षिण सहयोग शामिल हैं।

सहयोग तंत्र

- सदस्यों के बीच सहयोग को प्राप्त किया जाता है:
- **ट्रैक I:** राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक कूटनीतिक सगाई।
- **ट्रैक II:** सरकारी-संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से सगाई, जैसे राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियाँ और व्यापार परिषदें।
- **ट्रैक III:** नागरिक समाज और लोगों के बीच आदान-प्रदान।

BRICS का संस्थागत सुधारों पर प्रभाव

- BRICS देशों के बीच सहयोग की शुरुआत 2008 के वित्तीय संकट के बाद हुई थी। इस संकट ने डॉलर-प्रधान मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता पर संदेह उठाया।
- BRICS ने "बहुपक्षीय संस्थानों का सुधार करने की बात की ताकि वे विश्व अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों और उभरती हुई बाजारों की केंद्रीय भूमिका को सही तरीके से दर्शा सकें।"
- BRICS ने संस्थागत सुधारों के लिए दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप 2010 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कोटा सुधार हुए। इस प्रकार वित्तीय संकट ने पश्चिमी वैधता को अस्थायी रूप से कम किया और BRICS देशों को बहुपक्षीय संस्थाओं में "एजेंडा सेटर्स" के रूप में उभरने का मौका दिया।

न्यू डेवलपमेंट बैंक

- एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है।
- नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (2012) में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की संभावना पर विचार किया गया था।
- फोर्टलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (2014) के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- फोर्टलेजा घोषणा में जोर दिया गया कि एनडीबी ब्रिक्स के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों का पूरक होगा, इस प्रकार सतत और संतुलित विकास में योगदान देगा।
- एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन बुनियादी ढांचा, सिंचाई, टिकाऊ शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग हैं।
- एनडीबी ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्शात्मक तंत्र पर कार्य करता है जिसमें सभी सदस्य देशों के पास समान अधिकार होते हैं।

आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था

- वैश्विक वित्तीय संकट के बढ़ते उदाहरणों को देखते हुए, ब्रिक्स देशों ने छठे ब्रिक्स में फोर्टलेजा घोषणा के भाग के रूप में 2014 में ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) पर हस्ताक्षर किए।
- ब्रिक्स सीआरए का उद्देश्य बीओपी संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को और मजबूत करने में मदद करने के लिए मुद्रा स्वैप के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करना है।
- सीआरए के प्रारंभिक कुल प्रतिबद्ध संसाधन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सौ बिलियन डॉलर (USD 100 बिलियन) होंगे।
- यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करने में भी योगदान देगा और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं (आईएमएफ) का पूरक होगा।
- **अंतरबैंक स्थानीय मुद्रा क्रेडिट लाइन समझौता:** यह एक गैर-बाध्यकारी छत्र समझौता है जो हस्ताक्षरकर्ताओं के राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और आंतरिक नीतियों के अधीन सदस्य बैंकों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में प्रवेश करने के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में काम करेगा। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग

को बढ़ावा मिलेगा, मुद्रा जोखिम कम होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी और कंपनियों को ब्रिक्स बाजारों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

जोहान्सबर्ग घोषणा:

- **चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्व:** यह नई औद्योगिक क्रांति (पार्टनिर) पर ब्रिक्स साझेदारी की स्थापना की सिफारिश करता है।
- **'अफ्रीका के लिए ब्रिक्स आउटरीच' और 'ब्रिक्स प्लस' प्रारूप:** 2017 में ज़ियामेन शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के कुछ देशों को आमंत्रित करके शुरू किए गए ब्रिक्स प्लस प्रारूप को जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में भी आगे बढ़ाया गया।

भारत के लिए महत्व

- भारत BRICS की सामूहिक ताकत से लाभ उठा सकता है, जैसे कि आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग, साथ ही वैश्विक मुद्दों पर, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शासन संस्थाओं का सुधार आदि।
- भारत अपने NSG (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) सदस्यता पर अन्य BRICS देशों के साथ जुड़ा हुआ है।
- BRICS भारत की बड़ी रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है और यह भारत को एक "नॉर्म टेकर" से एक "नॉर्म शेपर" बनने की यात्रा में एक साधन प्रदान करता है।
- यह भारत को वैश्विक शासन संस्थाओं में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करने के लिए अधिक बातचीत करने की जगह प्रदान करता है, और उन्हें एक उदार अंतरराष्ट्रीय परंपरा और दक्षिणी दृष्टिकोण के साथ आकार देने का अवसर देता है।
- NDB भारत को अपनी बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में मदद करेगा। NDB ने अपनी पहली ऋण योजना को मंजूरी दी, जिसमें भारत के लिए 'मल्टीट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग स्कीम' के तहत 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण शामिल था।

BRICS का बहुध्रुवीय दुनिया में भूमिका

- BRICS को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावी बनने के लिए अपनी भूमिका बढ़ानी होगी, ताकि वह समकालीन वास्तविकताओं का जवाब दे सके। इसे सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करना होगा।
- आर्थिक-वित्तीय क्षेत्र BRICS के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।
- BRICS देशों की उच्च वृद्धि दर, आर्थिक क्षमता और जनसांख्यिकीय विकास इसे वैश्विक एजेंडा तय करने और वैश्विक शासन में अधिक प्रभाव रखने में अग्रणी स्थान पर रख रहे हैं।
- इसके अलावा, BRICS के रूप में यह समूह आतंकवाद, समुद्री लूटपाट और परमाणु अप्रसार से लेकर उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा तक के महत्वपूर्ण शांति और सुरक्षा मुद्दों पर अपनी भूमिका को बढ़ाने की उम्मीद करता है।
- जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, BRICS एक समूह के रूप में सहमति प्राप्त सिद्धांतों पर काम करता है।
- दुनिया की 40% आबादी को सुनना समानता की दिशा में एक कदम है।

जोहान्सबर्ग घोषणा

- **चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्व:** यह BRICS साझेदारी पर न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन (PartNIR) की स्थापना की सिफारिश करता है।

'BRICS का अफ्रीका तक विस्तार' और 'BRICS प्लस' प्रारूप: 2017 में शियामेन शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से कुछ देशों को आमंत्रित कर 'BRICS प्लस' प्रारूप की शुरुआत की गई थी, जिसे जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में भी आगे बढ़ाया गया।

11वां BRICS शिखर सम्मेलन

- 11वां BRICS शिखर सम्मेलन ब्रासीलिया, ब्राजील में हुआ था।
- जब पांचों देश राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग-अलग दिशा में बढ़ रहे थे, तब उन्होंने दुनिया के आर्थिक भविष्य के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण बनाने के तरीके खोजे।
- बहुपक्षवाद पर जोर और ब्रासीलिया में एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें "एकतरफा और संरक्षणवादी" कार्यों की निंदा की गई।
- सदस्य देशों ने व्यापार, नवाचार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में संबंधों को मजबूत करने के लिए संवाद किया।
- समूह ने भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया।
- आतंकवाद BRICS 2019 के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक था।

मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन
- सतत विकास लक्ष्य (SDG's)
- वैश्विक विकास और संरचना
- बहुपक्षीयता में सुधार

2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का रुख

- भारत ने दुनिया में बढ़ते आतंकवाद की चिंता को सामने रखा।
- शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के भाषण के अनुसार, आतंकवाद के खतरनाक खतरे ने विश्व अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर का भारी नुकसान पहुंचाया है।
- उन्होंने विभिन्न कदमों का प्रस्ताव दिया जिन्हें इस नुकसान को दूर करने के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता थी।

अध्याय – 32

समझौते (AGREEMENTS)

दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA)

परिचय और पृष्ठभूमि:

- **DTAA एक कर संधि है जो दो या अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित होती है।** इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन देशों में करदाता को एक ही आय पर दो बार कर न देना पड़े।
- DTAA उन मामलों में लागू होता है, जहां कोई करदाता एक देश में निवास करता है लेकिन दूसरे देश में आय अर्जित करता है।
- **DTAAs या तो व्यापक हो सकते हैं,** जो सभी प्रकार की आय को कवर करते हैं, या फिर सीमित हो सकते हैं, जैसे **शिपिंग, हवाई परिवहन, विरासत कर (inheritance tax)** आदि पर कराधान।

भारत-मॉरीशस DTAA में हालिया संशोधन:

- भारत ने हाल ही में **मॉरीशस के साथ अपने दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA)** में संशोधन किया ताकि कुछ खामियों को दूर किया जा सके।
- अब, कोई भी मॉरीशस की इकाई यदि भारतीय कंपनी के शेयर बेचती है, तो उसे अप्रैल 2017 से पूंजीगत लाभ कर **(Capital Gains Tax)** देना होगा।
- पहले, ये कंपनियां **भारत में "निवासी"** नहीं होने के कारण कर भुगतान से बच जाती थीं। मॉरीशस में भी पूंजीगत लाभ पर कर न लगने के कारण, कंपनियां वहां भी कर से बच जाती थीं।
- **इसका परिणाम यह हुआ कि कई "शेल कंपनियां" (Shell Entities)** मॉरीशस में खुल गईं, जो भारत में निवेश से लाभ कमाती थीं और कहीं भी कर नहीं चुकाती थीं।

DTAA का महत्व:

- DTAA का उद्देश्य किसी देश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना है, जिससे दोहरी कराधान से राहत मिल सके।
- इस राहत को या तो विदेश में अर्जित आय को घरेलू देश में कर मुक्त करके या जहाँ पहले से कर चुकाया जा चुका है, वहाँ कर क्रेडिट प्रदान करके दिया जाता है।
- कुछ मामलों में, DTAAs **रियायती कर दरें (Concessional Tax Rates)** भी प्रदान करते हैं।

भारत किन देशों के साथ DTAA समझौता कर चुका है?

- भारत ने 80 से अधिक देशों के साथ DTAA समझौते किए हैं।
- प्रमुख देशों में **ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, मॉरीशस, सिंगापुर, यूएई, यूके और अमेरिका** शामिल हैं।

DTAA के क्या लाभ हैं ?

- DTAA दोहरे कराधान पर राहत प्रदान करके किसी देश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने का इरादा रखते हैं।
- इस तरह की राहत विदेशों में अर्जित आय को निवासी देश में कर से छूट देकर या उस सीमा तक क्रेडिट प्रदान करके प्रदान की जाती है जहां कर पहले ही विदेशों में भुगतान किए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को विदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है और घर से दूर रहने के दौरान उसे पारिश्रमिक मिलता है, तो आय कभी-कभी दोनों देशों में कर के अधीन हो सकती है।
- यदि कोई लागू DTAA है, तो व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के लिए कर रिटर्न दाखिल करते समय राहत का दावा कर सकता है।
- इसी तरह, यदि व्यक्ति एक एनआरआई है जिसके भारत में निवेश हैं, तो DTAA प्रावधान इन निवेशों से या उनकी बिक्री से होने वाली आय पर भी लागू हो सकते हैं। DTAA कुछ मामलों में कर की रियायती दरों के लिए भी प्रावधान करते हैं।
- उदाहरण के लिए, एनआरआई बैंक जमा पर ब्याज 30 प्रतिशत TDS (स्रोत पर कर कटौती) को आकर्षित करता है। लेकिन भारत ने कई देशों के साथ जो DTAA किए हैं, उनके तहत कर केवल 10 से 15 प्रतिशत की दर से काटा जाता है। भारत के कई DTAA में रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क आदि के लिए भी कम कर दरें हैं।

श्रेणियाँ

दोहरा कराधान बचाव समझौतों (DTAA) के तहत निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

1. सेवाएँ
2. वेतन
3. संपत्ति
4. पूंजीगत लाभ
5. बचत/सावधि जमा खाते।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS)

BEPS एक शब्द है जिसका उपयोग कर नियोजन रणनीतियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न न्यायालयों के कर नियमों के बीच मौजूद बेमेल और अंतराल का फायदा उठाती हैं।

यह समग्र रूप से देय निगम कर को कम करने के लिए किया जाता है, या तो कर लाभ को 'गायब' करके या कम कर वाले न्यायालयों में लाभ स्थानांतरित करके जहां बहुत कम या कोई वास्तविक गतिविधि नहीं होती है।

सामान्य तौर पर BEPS रणनीतियाँ अवैध नहीं होती हैं; बल्कि वे विभिन्न न्यायालयों में संचालित विभिन्न कर नियमों का लाभ उठाती हैं।

BEPS विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कॉर्पोरेट आयकर पर बहुत अधिक निर्भर हैं, विशेष रूप **से बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNE)** से।

BEPS पहल एक OECD पहल है, जिसे G20 द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि विश्व स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीके की पहचान की जा सके।

भारत-श्रीलंका DTAA संशोधित

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और श्रीलंका के बीच दोहरे **कराधान से बचाव (Double Taxation Avoidance)** और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम (Prevention of Fiscal Evasion) के समझौते में संशोधन करने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन (Ratification) को मंजूरी दी।
- भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा DTAA 22 जनवरी 2013 को हस्ताक्षरित हुआ था और 22 अक्टूबर 2013 को लागू हुआ था।
- भारत और श्रीलंका समावेशी ढांचे (Inclusive Framework) के सदस्य हैं और इस प्रकार उन्हें अपने DTAA को इस ढांचे के अन्य देशों के साथ न्यूनतम मानकों के अनुरूप बनाना आवश्यक है।
- भारत बहुपक्षीय साधन (MLI - Multilateral Instrument) का हस्ताक्षरी है, लेकिन श्रीलंका अभी तक इसका हस्ताक्षरी नहीं बना है।
- इसलिए, **भारत-श्रीलंका DTAA** में द्विपक्षीय संशोधन आवश्यक है ताकि भूमिका (Preamble) को अद्यतन किया जा सके और प्रमुख उद्देश्य परीक्षण (Principal Purpose Test - PPT) प्रावधानों को जोड़ा जा सके जिससे न्यूनतम मानकों का पालन किया जा सके।

वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement)

मूल बातें और पृष्ठभूमि:

- यह एक विशिष्ट देशों का समूह (Elite Club) है, जो हथियार निर्यात नियंत्रण (Arms Export Controls) से संबंधित है, जैसे कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR)।
- यह निकाय 1996 में शीत **युद्ध-युग की समन्वय समिति (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - COCOM)** के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका नाम वासेनार (Wassenaar) से लिया गया है, जो हेग (The Hague) के उपनगर में स्थित है, जहां 1995 में इस बहुपक्षीय सहयोग को शुरू करने का समझौता किया गया था।

उद्देश्य और महत्व:

- यह व्यवस्था हथियारों के स्थानांतरण (Transfers of Conventional Arms) और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों (Dual-Use Goods and Technologies) में पारदर्शिता, विचारों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान और अधिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी।
- इसका उद्देश्य **विनाशकारी हथियारों (Weapons of Mass Destruction - WMD)** और उनकी **डिलीवरी प्रणालियों (Delivery Systems)** के अप्रसार (Non-Proliferation) से संबंधित मौजूदा व्यवस्थाओं को पूरक और मजबूत बनाना है, बिना किसी अनावश्यक पुनरावृत्ति के।
- यह उन जोखिमों को कम करने पर केंद्रित है, जो हथियारों और संवेदनशील दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण से उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे सैन्य उपयोग के लिए हथियारों और संवेदनशील वस्तुओं की प्राप्ति को रोकने के लिए सहयोग को बढ़ाना है, यदि किसी क्षेत्र की स्थिति या किसी राज्य का व्यवहार गंभीर चिंता का कारण बन जाता है।

वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement)

- सदस्य देश (Participating States) अपनी राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों (Dual-Use Goods and Technologies) का स्थानांतरण अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को कमजोर करने वाली सैन्य क्षमताओं के विकास या वृद्धि में योगदान न दे और न ही ऐसी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए इनका दुरुपयोग किया जाए।
- यह व्यवस्था किसी भी वैध नागरिक (Bona Fide Civil) लेन-देन को बाधित नहीं करती है और न ही किसी राज्य या राज्यों के समूह के खिलाफ निर्देशित है।
- इस व्यवस्था से संबंधित सभी उपाय सदस्य देशों की राष्ट्रीय विधायिकाओं और नीतियों के अनुसार किए जाते हैं और इन्हें राष्ट्रीय विवेकाधिकार (National Discretion) के आधार पर लागू किया जाता है।

सदस्य देश (Member Countries)

- इस व्यवस्था में कुल 42 सदस्य देश हैं, जिनमें सबसे नया सदस्य भारत है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सभी स्थायी सदस्य इस व्यवस्था के हस्ताक्षरी हैं, केवल चीन को छोड़कर।
- वासेनार व्यवस्था वैश्विक और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उन इच्छुक देशों के लिए खुली है, जो सहमत मानदंडों (Agreed Criteria) का पालन करते हैं।

  किसी देश को सदस्यता प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. हथियारों (Arms) या औद्योगिक उपकरणों (Industrial Equipment) का उत्पादक / निर्यातक (Producer / Exporter) होना चाहिए।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp https://wa.link/6bx90g 1 web.- https://shorturl.at/SgSVX

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 563+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
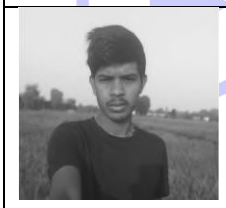	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE

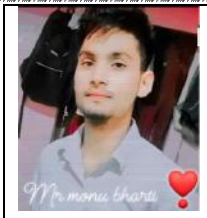	**MONU S/O KAMTA PRASAD**	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
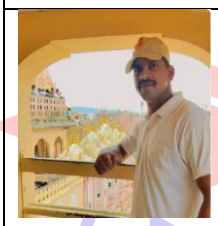	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

Click on the below link to purchase notes

WhatsApp करें - https://wa.link/6bx90g

Online Order करें - https://shorturl.at/5gSVX

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO